



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट –नवाबगंज

दिनांक :- 05.02.2025

## थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.10.2024 को थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु०अ०स० 245/24 धारा 137(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त 1. अरुण कुमार पुत्र राजपाल निवासी- खजुरिया नगला थाना अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. अरुण कुमार पुत्र राजपाल निवासी – खजुरिया नगला थाना अल्लाहगंज जिला शाहजहांपुर।

**घटना का संक्षिप्त विवरण** – वादी की तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री अपनी सहेली के घर सत्यनारायण कथा के प्रोग्राम में गयी थी जिसके वापस घर नहीं पहुँचने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 191/2024 धारा 137(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत कराया गया। घटनास्थल थाना नवाबगंज होने के फलस्वरूप उक्त अभियोग थाना नवाबगंज पर क्राइम नम्बर - 245/24 धारा 137(2) BNS पर पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अरुण कुमार उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था। जिसे दिनांक 05.02.2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अपनी सफाई वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 191/2024 धारा 137(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जिला फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं०-245/24 धारा -137(2) व ¾ पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जिला फतेहगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० हेमन्त कुमार
2. का० किरण कुमार
3. पीआरडी विनोद कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**





# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट-थाना मेरापुर  
दिनांक :- 05.02.2025

**थाना मेरापुर पुलिस के द्वारा मु0अ0सं0 17/2025 धारा  
137(2)/351(3)/65(1) BNS व 3/4 POCSO ACT में नामित अभियुक्त  
को गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री अलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 17/2025 धारा 137(2)/351(3)/65(1) BNS व 3/4 POCSO ACT वांछित अभियुक्त सुमित उर्फ मंत्री पुत्र अमीर सिंह निवासी कोला थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. सुमित उर्फ मंत्री पुत्र अमीर सिंह निवासी कोला थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

**घटना का विवरण:-** वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 03.02.2025 को वादी की पुत्री को पकड़कर व पुत्री व उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर वादी की पुत्री को अपने साथ ले जाकर कमरे में बलात्कार करने के सम्बन्ध में थाना मेरापुर पर दिनांक 03.02.2025 को मु0अ0सं0 17/2025 धारा 137(2)/351(3)/65(1) BNS व 3/4 POCSO ACT बनाम सुमित उर्फ मंत्री पुत्र अमीर सिंह निवासी कोला थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 05.02.2025 को नामित अभियुक्त सुमित उर्फ मंत्री पुत्र अमीर सिंह निवासी कोला थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** अपनी सफाई वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

मु0अ0सं0 17/2025 धारा 137(2)/351(3)/65(1) BNS व 3/4 POCSO ACT थाना मेरापुर ।

**गिरफ्तार करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र चौधरी
2. का0 अवधेश कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**



